



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 534 राँची, शुक्रवार, 7 आषाढ, 1938 (श०)
1 जुलाई, 2016 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2016

एस० ओ०-28--राज्य सरकार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के परामर्श से विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1220/जे० दिनांक-24 मई, 2016 द्वारा The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015 की धारा-3 (1) के तहत राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 01-01 (एक-एक) अर्थात् कुल तीन 03 (तीन) वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों की स्थानीय सीमाएँ निर्धारित की गई थी। सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्शानुसार, निर्णय लेते हुए उपरोक्त वर्णित अधिसूचना में निर्धारित क्षेत्राधिकार (स्थानीय सीमाएँ) को निम्नरूपेण विस्तारित किया जाता है:-

क्रमांक	वाणिज्यिक न्यायालय	पूर्व में विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1220/जे0 दिनांक -24.05.2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार (स्थानीय सीमाएँ)	विस्तारित क्षेत्राधिकार (स्थानीय सीमाएँ)
1.	राँची	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल
2.	धनबाद	धनबाद	उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना प्रमंडल
3.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	कोल्हान प्रमंडल

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

3. एतद् द्वारा पूर्व में निर्गत विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1220/जे0 दिनांक 24 मई, 2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(बी01/विधि-कोट गठन-क-02-2016 (छाया)- 1476 /जे०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

एस0 ओ0-29 राँची, दिनांक- 29 जून, 2016 एस0 ओ0-28 राँची, दिनांक- 29 जून, 2016 निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी01/विधि-कोट गठन-क-02-2016 (छाया)- 1476 /जे०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

NOTIFICATION

S.O.28--In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi has constituted one Commercial Court each in the District of Ranchi, Dhanbad & East Singhbhum (Jamshedpur) by the Law Department's Notification No-1220/J, dated 24.05.2016. After due consideration the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi has decided and extended the jurisdiction of local limits of above mentioned Commercial Courts as mentioned below:-

S.No.	Commercial Court	Jurisdiction (Local Limits) notified by Law Department vide Notification No.- 1220/J dated 24.05.2016	Extended Jurisdiction (Local Limits)
1-	Ranchi	Ranchi	South Chotanagpur Division and Palamau Division
2-	Dhanbad	Dhanbad	North Chotanagpur Division and Santhal Pargana Division
3-	Eash Singhbhum (Jamshedpur)	Eash Singhbhum (Jamshedpur)	Kolhan Division

2. This Notification shall come into force with effect from the date of notification.
3. The earlier Notification no.-1220/J dated 24.05.2016 issued by Law Department is hereby amended to that extent.

(File No.-B/Vidhi-Court Gathan-Ka-02/2016-**1476 /J**)

By the order of the Governor of Jharkhand

Dinesh Kumar Singh,
Principal Secretary-cum-L.R.
Law Department
Govt. of Jharkhand, Ranchi.
